



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी:- विकास शर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या - 68/2025 प्रा0पत्र

अनवान

सहदेव सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जाति रावत उम्र 38 वर्ष निवासी बली तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... प्रार्थी

विरुद्ध

1. गिरधारी सिंह पिता किशन सिंह जाति रावत उम्र 35 वर्ष निवासी बली जस्साखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थिति:-

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय

दिनांक:- 30/10/25

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की ग्राम बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2075-2078 में स्थित खाता संख्या नया 458 एवं पुराना खाता संख्या 431 में स्थित खसरा संख्या क्रमशः 977, 978 रकबा क्रमशः 0.0647 एवं 0.0971 हैक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर घास काटते तथा बोते समय आगे पीछे सीमा होने से रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। प्रार्थी उक्त भूमि को उन्नत व विकसित कर उपजाऊ बनाना चाहते हैं एवं पाल डोल लगाना चाहते हैं परन्तु इस भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की स्थाई दिवार बनी हुई नहीं है जिससे उक्त आराजियात की सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षी अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि



Shan

प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम बली पटवार हल्का बली की नकल, जमाबंदी वर्ष 2077 में प्रार्थी सह खातेदार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2075-2078 में स्थित खाता संख्या नया 458 एवं पुराना खाता संख्या 431 में स्थित खसरा संख्या क्रमशः 977, 978 रकबा क्रमशः 0.0647 एवं 0.0971 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



Shaw
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधीक्षक, भीम
जिला - राजसमन्द